सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम संख्यांक 34)

[18 मई, 2003]

सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और उनमें व्यापार तथा वाणिज्य के तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

39वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰) ने 15 मई, 1986 को हुए अपने चौदहवें पूर्ण अधिवेशन में पारित किए गए संकल्प द्वारा डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰ के उन सदस्य राज्यों से जिन्होंने उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धूम्रपान न करने वालों को तम्बाकू के धुएं के अनचाहे प्रभाव से बचाने के लिए प्रभावी संरक्षण दिया गया है और तम्बाकू के उपयोग का व्यसनी बनने से बच्चों और युवाओं को संरक्षण देने के लिए प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, अनुरोध किया गया था;

और 43वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 17 मई, 1990 को हुए अपने चौदहवें पूर्ण अधिवेशन में 39वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में पारित संकल्प में व्यक्त की गई चिंताओं को दोहराया और सदस्य राज्यों से उनकी तम्बाकू नियंत्रण रणनीति योजना में विधान के लिए विचार करने हेतु और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जोखिम समूहों की ओर जैसे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर तम्बाकू के धुएं के अनचाहे प्रभाव से जोखिम की ओर विशेष ध्यान देने, तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा प्रगतिशील निर्बंधन अधिरोपित करने तथा तम्बाकू से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, संबर्धन और प्रयोजन को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया;

और लोकहित में तथा लोक स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए तम्बाकू के बारे में एक व्यापक विधि अधिनियमित करना समीचीन समझा गया है;

और सामान्यत: लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने की दृष्टि से, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में दिया गया है, सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उपभोग को प्रतिषिद्ध करना समीचीन हैं;

और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और उनके व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और उस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा।

2. यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विज्ञापन" के अंतर्गत सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस प्रस्तुत करने या पारेषण के किसी माध्यम द्वारा की गई कोई घोषणा भी है;

(ख) "सिगरेट" के अंतर्गत,—

(i) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तंबाकू न हो, लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल है;

(ii) तंबाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तंबाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है, किंतु इसके अंतर्गत बीड़ी, चुरूट और सिगार नहीं है;

(ग) "वितरण" के अन्तर्गत नमूने के रूप में वितरण भी है चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा;

(घ) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;

(ङ) "विदेशी भाषा" से ऐसी भाषा अभिप्रेत है जो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है;

(च) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया जाना;

(छ) "भारतीय भाषा" से संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भाषा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी भाषा की कोई बोली भी है;

(ज) "लेबल" से ऐसी कोई लिखित, चिह्नित, स्टांपित, मुद्रित या सुचित्रित सामग्री अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई हो या उस पर दिखाई पड़ती हो;

(झ) "पैकेज" के अंतर्गत कोई रैपर, बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य आधान भी है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "उत्पादन" के अंतर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ ऐसी सिगरेटों, सिगारों, चुरूटों, बीड़ियों, सिगरेट तंबाकू, पाइप तंबाकू, हुक्का तंबाकू, चवर्ण तंबाकू, पान मसाले या किसी अन्य चवर्ण सामग्री का, जिसमें उसकी एक अन्तर्वस्तु के रूप में तंबाकू हो (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) या सुंघनी बनाना है और इसके अंतर्गत—

(i) आधानों को पैक करना, उन पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना;

(ii) थोक पैकेजों से फुटकर पैकेजों में पुनः पैक करना; और

(iii) तंबाकू उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य पद्धति का अपनाया जाना भी है;

(ठ) "लोक-स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अंतर्गत आडिटोरियम, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद

केन्द्र, रेस्तरां, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्तकालय, लोक वाहन और ऐसे स्थान भी हैं जहां साधारण जनता को आना-जाना होता है, किंतु इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है;

(ड) ''विक्रय'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ, किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है चाहे नकदी के लिए हो या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अंतर्गत विक्रय के लिए कोई करार और विक्रय का प्रस्ताव और विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है;

(ढ) ''धूम्रपान'' से किसी रूप में तंबाकू का धूम्रपान अभिप्रेत है जो चाहे सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में या अन्यथा किसी पाइप, रैपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से हो;

(ण) ''विनिर्दिष्ट चेतावनी'' से सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग के विरुद्ध ऐसी चेतावनियां अभिप्रेत हैं जो सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेजों पर, ऐसे रूप में और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, मुद्रित, पेंट या अंतर्लिखित की जाए;

(त) ''तंबाकू उत्पाद'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद अभिप्रेत हैं।

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध।

4. कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा:

परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें 30 कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें 30 या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।

सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध।

5. (1) कोई व्यक्ति, जो सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण में लगा है या लगा होना तात्पर्यित है, इसका विज्ञापन नहीं करेगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका किसी माध्यम पर नियंत्रण हो, उक्त माध्यम द्वारा सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं होने देगा और कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जिसमें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग या उपभोग का सुझाव दिया गया हो या संप्रवर्तन किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे के लिए—

(क) सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का संप्रदर्शन नहीं करेगा, संप्रदर्शन नहीं कराएगा या उसे संप्रदर्शन के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या

(ख) किसी ऐसी फिल्म या वीडियो टेप का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं कराएगा या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन हो; या

(ग) ऐसे किसी पर्णक, पर्चे या दस्तावेज का, जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन है या जिसमें ऐसा विज्ञापन है, जनता में वितरण नहीं करेगा, वितरण नहीं कराएगा या उसे वितरण के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या

(घ) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का किसी भूमि, भवन, दीवाल, होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट या संरचना पर या उसके ऊपर या किसी यान में या उसके ऊपर न परिनिर्माण करेगा, न प्रदर्शन करेगा, उसे न लगाएगा और न लगाए रखेगा और न ही उसका किसी भी स्थान में किसी भी रीति से प्रदर्शन करेगा:

परंतु यह उपधारा,—

(क) सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज में या उस पर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन;

(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, जो किसी ऐसे भांडागार या दुकान के प्रवेश स्थान पर या उसके भीतर प्रदर्शित किया गया है जहां सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद वितरण या विक्रय के लिए प्रस्थापित है,

के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी संविदा के अधीन या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए या दिए जाने के लिए करार में प्रयोजन, दान, पुरस्कार या छात्रवृत्ति के लिए विनियम में,—

(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उपयोग या खपत का; या

(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी व्यापार चिह्न या ब्राण्ड नाम का,

संवर्धन नहीं करेगा या उसके संवर्धन के लिए करार नहीं करेगा।

अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के, विक्रय पर प्रतिषेध।

6. कोई व्यक्ति,—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम आयु का है; और

(ख) किसी शैक्षिक संस्था की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर,

सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।

सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बन्धन।

7. (1) कोई व्यक्ति, तब तक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर, जो उसके द्वारा उत्पादित किया गया है, प्रदाय किया गया है या वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है, जिसके अंतर्गत खोपड़ी ओर हड्डियों के क्रास का तस्वीर चित्रण और अन्य चेतावनियां भी हैं, जो विहित की जाएं।

(2) कोई व्यक्ति तब तक सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का व्यापार या वाणिज्य नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर जिसका उसके द्वारा विक्रय, प्रदाय या वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

(3) कोई व्यक्ति तब तक मूल्यवान प्रतिफल के लिए या वितरण या प्रदाय के लिए या भारत में विक्रय के लिए सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का आयात नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इस प्रकार आयातित सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

(4) ऐसे पैकेज के जिसमें सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद मूल्यवान प्रतिफल के लिए वितरण, विक्रय या प्रदाय हेतु पैक किए गए हैं वृहत्तम पैनलों में से कम-से-कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय किए गए या वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर या उसके लेबल पर निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया हो:

परंतु निकोटीन ओर टार अंतर्वस्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं, अधिक नहीं होंगी।

वह रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी दी जाएगी।

8. (1) सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी,—

(क) पठनीय और प्रमुख रूप में होगी;

(ख) आकार और रंग की दृष्टि से सहजदृश्य होगी;

(ग) अक्षरांकन ऐसी शैली में या किस्म का होगा जो पैकेज या उसके लेबल पर प्रयुक्त किसी अन्य किस्म, अक्षरांकन या आरेखन सामग्री के मुकाबले सुभिन्न रूप में मोटे और स्पष्ट अक्षरों में हों और पैकेज पर ऐसी रंग में मुद्रित, पेंट की हुई या उत्कीर्णित होगा, जो पैकज या उसके लेबल की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य रूप में सुभिन्न हो।

(2) वह रीति, जिसमें सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी मुद्रित, पेंट या उत्कीर्णित की जाएगी, ऐसी होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों वाला प्रत्येक पैकेज इस प्रकार पैक किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पर या उसके लेबल पर दृश्यमान विनिर्दिष्ट चेतावनी पैकेज के खोले जाने से पूर्व उपभोक्ता को दृश्यमान हो।

वह भाषा जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी अभिव्यक्त की जाएगी।

9. (1) जहां, सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर या उसके लेबल पर प्रयुक्त भाषा,—

(क) अंग्रेजी है, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त की जाएगी;

(ख) कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी उस भारतीय भाषा या भाषाओं में अभिव्यक्त की जाएगी;

(ग) अंग्रेजी और एक या अधिक भारतीय भाषाएं, दोनों हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में भी अभिव्यक्त की जाएगी;

(घ) भागत: अंग्रेजी और भागत: कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा और साथ ही ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में भी अभिव्यक्त की जाएगी;

(ङ) कोई विदेशी भाषा है, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त की जाएगी;

(च) भागत: कोई विदेशी भाषा और भागत: अंग्रेजी या कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में अभिव्यक्त की जाएगी।

(2) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी पैकेज या उसके लेबल पर कोई ऐसी विषयवस्तु या कथन अंतर्विष्ट नहीं होगा जो विनिर्दिष्ट चेतावनी से असंगत हो या निन्दात्मक हो।

अक्षरों और अंकों का आकार।

10. कोई विनिर्दिष्ट चेतावनी या सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन और टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं समझा जाएगा यदि प्रत्येक अक्षर या अंक या दोनों की ऊंचाई, जो ऐसी चेतावनी और उपदर्शन में प्रयुक्त हैं, उस ऊंचाई से कम है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

निकोटीन और टार अंतर्वस्तु के लिए परीक्षण प्रयोगशाला।

11. केन्द्रीय सरकार, सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन और टार अंतर्वस्तु के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा ऐसी परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करेगी जिसे वह सरकार आवश्यक समझे।

प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति।

12. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या ओषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो विहित रीति में किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे कारखाने, भवन, कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,—

(क) जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में कोई व्यापार या वाणिज्य चलाया जा रहा है या सिगरेट अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जा रहा है; या

(ख) जहां सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है।

1974 का 2 (2) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होंगे।

अभिग्रहण की शक्ति।

13. (1) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या ओषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि,—

(क) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज के संबंध में; या

(ख) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में,

इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह विहित रीति में ऐसे पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किए गए सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज या विज्ञापन सामग्री का, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने उस पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण किया है, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जिला न्यायाधीश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया था ऐसे प्रतिधारण के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है।

पैकेज का अधिहरण।

14. सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई पैकेज या सिगरेटों अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों की कोई विज्ञापन सामग्री, जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, अधिहरण किए जाने के लिए दायी होगा:

परंतु जहां, अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद का कोई ऐसा पैकेज पाया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों को भंग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहां न्यायालय ऐसे पैकेज का अधिहरण करने के लिए आदेश करने के स्थान पर इस अधिनियम के उपबंधों को भंग करने वाले दोषी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ऐसी आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

अधिहरण के बदले खर्च का संदाय करने का विकल्प देने की शक्ति।

15. (1) जब कभी इस अधिनियम द्वारा सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी पैकेज का अधिहरण प्राधिकृत किया जाता है, तब उसका न्यायनिर्णयन करने वाला न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्वामी को अधिहरण के बदले में उसकी लागत का, जो अधिहृत माल के मूल्य के बराबर होगी, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा।

(2) न्यायालय द्वारा आदेशित खर्च के संदाय पर, अभिगृहीत पैकेज उस व्यक्ति को, जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे, इस शर्त पर वापस कर दिए जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का कोई वितरण, विक्रय या प्रदाय करने से पूर्व ऐसे प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन सम्मिलित कराएगा।

अधिहरण का अन्य दंडों में बाधा न होना।

16. इस अधिनियम के अधीन किया गया किसी अधिहरण, संदत्त किए जाने के लिए आदेशित खर्च ऐसे किसी दंड का दिया जाना निवारित नहीं करेगा, जिसके लिए उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों या किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।

न्यायनिर्णयन।

17. सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन या संदत्त किए जाने के लिए खर्च का आदेश,—

(क) उस मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अधिहरण किया गया है या खर्च संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है, बिना किसी परिसीमा के, किया जा सकेगा;

(ख) ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो ऐसे सिविल न्यायालय से नीचे का न हो, जिसकी धन

संबंधी अधिकारिता, पांच हजार रुपए से अधिक हो, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जा सकेगा।

18. (1) अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने या लागत का संदाय करने का निदेश देने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है, एक लिखित सूचना न दी गई हो जिसमें उसे उन आधारों की सूचना दी गई हो जिन पर ऐसे पैकेज का अधिहरण करना प्रस्थापित है और उससे अधिहरण के विरुद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और यदि वह ऐसी वांछा करे, तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो: अभिग्रहण किए गए पैकेजों के स्वामी को अवसर देना।

परन्तु जहां सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के पैकेज के अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, वहां वह पैकेज उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसका अभिग्रहण किया गया था, लौटा दिया जाएगा।

1908 का 5 (2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक सम्भव हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही को लागू होंगे।

19. (1) अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले, लागत के संदाय का आदेश देने वाले न्यायालय के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील होती है। अपील।

(2) अपील न्यायालय, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने, उपांतरण करने या उलटने के लिए, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यथास्थिति, नए विनिश्चय या न्यायनिर्णयन के लिए, ऐसे निदेश सहित जैसा वह उचित समझे, मामले को वापस भेज सकेगा:

परंतु अधिहरण के बदले किसी जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण करने वाला आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को अभ्यावेदन करने या यदि वह ऐसी वांछा करे तो, अपनी प्रतिरक्षा में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) अपील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं होगी।

20. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

21. (1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड।

1974 का 2 (2) इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड।

22. जो कोई धारा 5 के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा,

दंडनीय होगा।

विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का समपहरण।

23. जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन धारा 5 के उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के लिए विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री सरकार को समपहृत की जा सकेगी और ऐसे विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का ऐसी रीति से व्ययन किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

कतिपय स्थानों में या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड।

24. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और उनका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। 1974 का 2

धारा 4 और धारा 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान।

25. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम होंगे:

परन्तु इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति ने धारा 4 या धारा 6 के अधीन अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि अभियुक्त व्यक्ति, अपना नाम और पता नहीं बता देता है और उसे निरुद्ध करने वाले अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देता है कि वह किसी समन या अन्य कार्यवाहियों का उसके विरुद्ध जो की जाएं सम्यक्त: उत्तर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा।

(3) धारा 4 या धारा 6 के अधीन अपराध करने वाले किसी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए किसी ऐसे स्थान पर जहां वह है या जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, साथ ही ऐसे किसी अन्य स्थान पर विचारण किया जाएगा जिस पर वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण करने के लिए दायी है।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रति जनता की जानकारी के लिए किसी सहजदृश्य स्थान या स्थानों पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रदर्शित की जाएगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

कंपनियों द्वारा अपराध।

26. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार, अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह

यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे तद्नुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

1974 का 2 **27.** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा। अपराधों का जमानतीय होना।

28. (1) धारा 4 या धारा 6 के अधीन किए गए किसी अपराध के अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रकम के लिए, जो दो सौ रुपए से अधिक नहीं हो सकेगी, उसका शमन किया जा सकेगा। अपराधों का शमन।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, वहां अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

29. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

30. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात्, वैसी अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को जोड़ सकेगी जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि विज्ञापनों को प्रतिषिद्ध किया जाना है और इस अधिनियम के अधीन इसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण को विनियमित किया जाना अपेक्षित है और तब अनुसूची ऐसे उत्पादों को इसके लागू होने में, तद्नुसार, संशोधित की गई समझी जाएगी। अनुसूची में किन्हीं तम्बाकू उत्पादों को जोड़ने की शक्ति।

31. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिसमें धारा 3 के खंड (ण) के अधीन सिगरेटों या अन्य तम्बाकू के संबंध में चेतावनी दी जाएगी;

(ख) धारा 7 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों में अधिकतम अनुज्ञेय निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) वह रीति विनिर्दिष्ट करना जिसमें धारा 8 की उपधारा (2) अधीन सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी अन्तर्लिखित की जाएगी;

(घ) धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट चेतावनी में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर या अंक या दोनों की ऊंचाई विनिर्दिष्ट करना या सिगरेटों अथवा अन्य तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को उपदर्शित करना;

(ङ) उस रीति के लिए जिससे किसी परिसर में प्रवेश किया जाना और तलाशी ली जानी है और उस रीति के लिए जिसमें सिगरेटों के या अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी पैकेज का अभिग्रहण किया जाएगा और उस रीति के लिए जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी तथा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का कोई पैकेज अभिगृहीत किया गया है, उपबंध करना;

(च) किसी अन्य विषय के लिए, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जा सकता है, उपबंध करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 30 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने/जारी की जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा/रखी जाएगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या यदि दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना, नहीं बनाया जाना चाहिए/जारी नहीं की जानी चाहिए तो ऐसा नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, उस नियम/अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ऐसी सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों अधिनियम का लागू न होना जिनका निर्यात किया जाता है।

32. इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों को अथवा सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों को अथवा सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी जिसका निर्यात किया जाता है:

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सिगरेटों के किसी ऐसे पैकेज का, जिस पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु उपदर्शित नहीं है, ऐसे देश को निर्यात किया जाना उस दशा में, प्राधिकृत करती है जिसमें उस देश में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वही या उसी प्रकार की चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों अथवा सिगरेटों या अन्य तबाकू उत्पादों के पैकेज को इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, निर्यात किया गया समझा जाएगा यदि उसके निर्यात के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं इस बात के होते हुए भी कि वस्तुत: निर्यात नहीं किया गया है।

निरसन और व्यावृत्ति।

33. (1) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1975 का 49

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध तब प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी तथा वह तद्नुसार, तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती।

अनुसूची

[धारा 2(त) देखिए]

1. सिगरेट
2. सिगार
3. चुरुट
4. बीड़ी
5. सिगरेट, तम्बाकू, पाइप तम्बाकू और हुक्का तम्बाकू
6. चर्वण तम्बाकू
7. सुंघनी
8. पान मसाला या कोई चर्वण सामग्री जिसमें तम्बाकू उसके एक संघटक के रूप में हो (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)
9. गुटका
10. तम्बाकू से युक्त टूथ पाउडर।